


भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में ओ.टी. इन्स्ट्रूक्टरेस के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षा विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-एस्ट (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में ओ.टी. इन्स्ट्रूक्टरेस के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।


(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त, 2017

| क्र.सं. | अनुसूची के अनुसार | वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान | प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान | परिवर्तन के कारण |
|---------|--------------------------------------|---|--|---|
| 1. | पद का नाम | ओ.टी. इन्स्ट्रक्टरेस | ओ.टी. इन्स्ट्रक्टरेस | |
| 2. | पदों की सं. | 2 | 1* (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | एक पद समाप्त हो गया है। |
| 3. | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-IV पद अराजपत्रित, अनुसंचिवीय | सामान्य केन्द्रीय सेवा 'ग' अराजपत्रित, अनुसंचिवीय | |
| 4. | वेतनमान (वेतन अब वेतन मैट्रिक्स में) | दूसरा के.वे.आ. - 110-3-131 तीसरा के.वे.आ. -260-326-ईबी-8-350 चौथा के.वे.आ. - 950-20-1150 ईबी-25-1500 पांचवा के.वे.आ. -एस-5-(3050-75-3950-80-4590) छठा के.वे.आ. - पीबी-1, जीपी-रु. 1900 सातवां के.वे.आ. - पे मैट्रिक्स का लेवल 2 | पे मैट्रिक्स का लेवल 2 (रु. 19900) | सातवें के.वे.आ. के वेतन मैट्रिक्स तथा का.प्र.वि. के का.ज्ञा.सं. एबी-14017/32/2009-एस्ट (आरआर) दिनांक 7.10.2009 के मॉडल आरआर के अनुसार भी प्रतिस्थापन। |
| 5. | क्या चयन पद अथवा अचयन पद | | लागू नहीं | |
| 6. | सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा | 25 वर्ष | 18-25 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय) | |
| | | | टिप्पणी: सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा के निर्धारण की तारीख वह होगी जो भारत के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख है (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू -कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अंडमान एवं नीकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप समूह के उम्मीदवारों के लिए आवेदनपत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख) | |
| 7. | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता | (i) ट्रेड में तीन वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण (ii) सामान्य शिक्षा की मीडिल स्कूल कक्षा वांछनीय। | 1. मैट्रिकुलेशन 2. ट्रेड में तीन वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण | समूह 'ग' पद के लिए न्यूतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। |
| 8 | क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्तु व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी। | नहीं | लागू नहीं | |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | 2 वर्ष | दो वर्ष | |
| 10. | भर्ती की पद्धति: क्या सीधी | 100% सीधी | 100% सीधी भर्ती | |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|--|
| | भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | भर्ती चयन द्वारा-शून्य, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता-शून्य, स्थानांतरण पद-शून्य | द्वारा | |
| 11. | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। | | लागू नहीं। | |
| 12. | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | | लागू नहीं | |
| 13. | भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | | लागू नहीं। | |